राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः–प.43(93)मुसप्र/खुली बिक्री/नी.निर्णय/2011/1889 दिनांकः– 16-11-11

परिपत्र

राजस्थान आवासन मण्डल की योजनाओं में अवशिष्ट/अनिस्तारित आवासों का निस्तारित समय–समय पर मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप खुली बिक्री के माध्यम से किया जाता रहा है। वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा मानसरोवर योजना के अवशिष्ट आवासों को खुली बिक्री योजना से निस्तारण पर स्थगन आदेश पारित किये गए हैं, जिसके कारण आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में अवशिष्ट/अनिस्तारित आवासों का निस्तारण पंजीकृत आवेदकों की अनुपलब्धता के कारण संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः सभी अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खुली बिक्री योजना के माध्यम से अवशिष्ट/अनिस्तारित आवासों का निस्तारण संबंधित निर्णय नहीं हो, तब तक मानसरोवर योजना के स्टे किये गए आवासों को छोड़कर शेष योजनाओं में ऐसी सभी अधिकाधिक सम्पत्तियों का पंजीकृत आवेदकों को लॉटरी से तथा जहां पंजीकृत आवेदक नहीं हो, वहां नीलामी से शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जावे। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे। निर्देशों की अवहेलना पर संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियंता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, रा.आ. मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0 आ0 म0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, पी. एण्ड एम./रा0आ0म0, जयपुर संबंधित से पालना सुनिश्चित करावें एवं मॉनिटरिंग की जावे।
5. तकनीकी सहायक–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभिंयता, रा0आ0म0, जयपुर
6. जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
7. समस्त उप आवासन आयुक्त–वृत–.................... रा0आ0म0, ...
8. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड–......................रा0आवम0, ...
9. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा0आ0म0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक